न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2024 (अपील)

GCMS No. 2024/4

अनवान

1. श्री गमाना पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
2. श्री खेमा पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
3. श्री लालु पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
4. श्री नंगा पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
5. श्री भंवरू पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
6. श्री कालुलाल पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
7. श्री मांगीलाल पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।
8. श्री रमेश पिता माना भील निवासी हाथीकाड तह. झाडोल।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री मनिष शर्मा, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. राजपैरोकार ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 134 तहसीलदार झाडोल आदेश दिनांक 12.12.2022

* निर्णय *

दिनांक– 28.06.2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पक्ष में एक हक त्याग पत्र मौजा झाडौल की आराजी संख्या 1982 से लगायत 2007 कुल किता 23 रकबा 3.1300 है. चूंकि श्रीमती कमला पुत्री सवा पत्नी प्रभुलाल भील व श्रीमती अम्बा उर्फ अम्बु पुत्री सवा पत्नी शान्तिलाल भील द्वारा उपरोक्त आराजी में निहित कुलिया हक व हिस्से को अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 03.05.2019 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया व आधिपत्य सिपुर्द कर दिया तब से लगाकर अपीलाण्ट उक्त हक त्याग के आधार पर उक्त भूमि के हक त्यागकर्ता के हिस्से पर बतौर मालिक काबिज चले आ रहे है व काश्त कर रहे है। हक त्याग पत्र का पंजीयन होने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त हक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

त्याग के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु अधीनस्थ पटवार हल्का के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस पर पटवार हल्का द्वारा अपीलाण्ट को उक्त हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का आश्वासन दिया। अपीलाण्ट जो कि सीधे सादे अनपढ आदिवासी लोग है ने पटवार हल्का के कथन पर विश्वास कर लिया कि उक्त हक त्याग के आधार पर भूमि हमारे नाम रेकर्ड दर्ज हो जाएगी व अपने घर आकर कृषि कार्य में व्यस्त हो गए। पटवार हल्का द्वारा उक्त हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 134 भरकर अधीनस्थ तहसीलदार जी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया व उक्त नामान्तरकरण पर अंकित किया कि पंजीयन दस्तावेज में अंकित आराजी में से आराजी संख्या 1982, 2000, 2001, 2002, 2003 किता 5 अवाप्ति होने से नामान्तरकरण खारिज हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार जी ने बिना विवेकीय को स्तम्ब को उपयोग किए नामान्तरकरण खारिज करने का आदेश पारित कर एक भारी विधिक चूक फरमाई है जिससे उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में पारित आदेश प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। जो दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया था उसमें 23 आराजी उल्लेखित थे व उन सभी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण खोला जाना था। यदि 5 आराजी अवाप्ति की कार्यवाही हो चुकी थी तो भी अधीनस्थ तहसीलदार जी को हक त्याग पत्र में अंकित शेष आए आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की कार्यवाही फरमानी थी परन्तु उनके द्वारा एसा नहीं कर सम्पूर्ण नामान्तरकरण को निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है वह न्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट सीधे साधे अनपढ आदिवासी किसान है जिन्होने नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र व दस्तावेज पटवारी हल्का को प्रस्तुत कर दिया व पटवार हल्का में आवश्वासन पर निश्चित हो गए व तहसीलदार जी द्वारा पारित उपेक्षित आदेश की भी जानकारी नहीं कर पाने व तहसीलदार जी द्वारा भी किसी प्रकार की सूचना अपीलाण्ट को प्रदान नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण आदेश का कोई ज्ञान नहीं हो सका। हाल ही अपीलाण्ट द्वारा पटवार हल्का में चाराजोही करने पर उक्त नामान्तरकरण खारिज के आदेश कर दिनांक 23.03.2024 को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की व कानूनी जानकारी लेकर अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है जिसे पेश किए जाने में अपीलाण्ट द्वारा जानबुझकर कोई चूक या देरी नहीं की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 134 निरस्त फरमाया जाकर अवाप्ति से मुक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम खोले जोने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर नामान्तरकण हेतु अपील पेश करना बताया। तहसीलदार द्वारा 5 नम्बर अवाप्ति में होना कहकर पुरा नामान्तरकरण खारिज कर दिया है। अतः 5 नम्बर को छोडकर शेष नम्बरों का हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 24.05.2022 को निर्णय की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। दस्तावेजात के अध्ययन से अपीलाण्ट के पक्ष में एक हक त्याग पत्र मौजा झाडौल की आराजी संख्या 1982 से लगायत 2007 कुल किता 23 रकबा 3.1300 है. भूमि को श्रीमती कमला पुत्री सवा पत्नी प्रभुलाल भील व श्रीमती अम्बा उर्फ अम्बु पुत्री सवा पत्नी शान्तिलाल भील द्वारा उपरोक्त आराजी में निहित कुलिया हक व हिस्से को अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 03.05.2019 को निष्पादित कर दिनांक 10.05.2019 को पंजीकृत करवा दिया। उक्त हक त्याग के आधार पर पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 134 भरकर पंजीयन दस्तावेज में अंकित आराजी में से आराजी संख्या 1982, 2000, 2001, 2002, 2003 किता 5 अवाप्ति होने से नामान्तरकरण खारिज हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार जी द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। जबकि हकत्याग के दस्तावेज में 23 आराजी उल्लेखित थे जिनके सम्बन्ध में नामान्तरकरण खोला जाना था। यदि 5 आराजी अवाप्ति की कार्यवाही हो चुकी थी तो उक्त आराजीयात को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज करना चाहिए था, जब पटवारी को इसका ज्ञान हे तो उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम नामान्तरकरण को पारित कराने की कार्यवाही क्यूं नहीं की गई। यदि किसी आराजीयात में अवाप्ति की कार्यवाही हो चूकी है तो उसके लिए खातेदार या हितबद्ध पक्षकारा का क्या दोष है, अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि अवाप्तशुदा आराजीयात को उस संस्था के नामपर समय पर दर्ज कर ले जिसके लिए अवाप्त की गई है। संबन्धित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के सम्पूर्ण नामान्तरकरण को निरस्त किए जाने का आदेश पारित कर दिया गया है जिससे अपीलाण्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी एवं भू.अ. की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण को खारिज किया गया है जो कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

त्रुटिपूर्ण निर्णय है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा झाडोल पटवार हल्का झाडोल तहसील झाडोल में तहसीलदार झाडोल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2623 दिनांक 06.10.2022 के आदेश को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार झाडोल को आदेशित किया जाता है कि मौजा झाडोल पटवार हल्का झाडोल के खाता संख्या 120 किता 23 रकबा 3.13 है. एवं खाता संख्या 29 किता 3 रकबा 0.48 है. भूमि में यदि किसी न्यायालय से स्थगन न हो तो जिन आराजीयात में अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो गई है उनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज करते हुए शेष आराजीयात को हकत्याग दिनांक 10.05.2019 के आधार पर द्वितीय पक्षकार हकत्याग गृहिता के नाम दर्ज करने की कार्यवाही 15 दिवस मे करते हुए नामान्तरकरण पारित किया जावे। निर्णय प्रति पालनार्थ भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)